UPRB010065512022 (JO CODE–UP01657)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)–तृतीय, रायबरेली।

उपस्थितः– राकेश कुमार तिवारी (एच०जे०एस०)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—3067/2022

अमन कुमार उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र शिवलाल निवासी चडौली पो० दृगपालगंज, थाना खीरों, जिला रायबरेली।

––––प्रार्थी/अभियुक्त।

(दिनांक 05.10.2022 जेल में)

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

–––– अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–346/2022
अन्तर्गत धारा–147,452,354,
323,504,506,427 भा०द०सं०
व 7/8 पाक्सो एक्ट
थाना–खीरों, जनपद–रायबरेली।

दिनांक–13.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त अमन कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 346/2022 अन्तर्गत धारा 147, 452, 354, 323, 504, 506, 427 भा०द०सं० व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना खीरों, जिला रायबरेली में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार मामले के वादिनी ने थाना खीरों, जिला रायबरेली में अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी है कि प्रार्थिनी उपरोक्त पते की निवासिनी है। प्रार्थिनी के पति वास्ते मजदूरी बाहर रहते हैं प्रार्थिनी अकेले घर में अपनी नाबालिग बच्ची पीड़िता के साथ रहती है एवं अपनी सास की सेवा आदि करती है। प्रार्थिनी के पति का भांजा अमनदीन शराब के नशे में आये दिन प्रार्थिनी के घर आता है एवं प्रार्थिनी व उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकते करता है। कई बार प्रार्थिनी इसकी शिकायत थाना खीरो एवं चौकी सेमरी में की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे प्रतिपक्षी सं०–1 के हौसले दिन ब दिन बुलन्द होते जा रहे है। वह किसी दिन कोई बडी अप्रिय घटना को अंजाम दे देंगे। चूंकि प्रार्थिनी अपनी पुत्री के साथ अकेले घर में रहती है। घटना दिनांक 15.05.222 को समय लगभग 8 बजे रात्रि को प्रतिपक्षी सं०–1 अमनदीप शराब के नशे में मेरे घर आया पहले उसने मेरी नाबालिग पुत्री पीड़िता के साथ अश्लील हरकते की विरोध करने पर मेरे साथ भी छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की शोर पर पास–पड़ोस के लोगों को आता देख विपक्षी अमनदीन भाग गया उसके 1 घंटे बाद विपक्षी सं०–1 अमनदीन अपने साथ अन्य उपरोक्त प्रतिपक्षी सं०–2 ता क्रमश: शिवलाल, अमिता, श्रीनाथ, उर्मिला के साथ आया और मेरे घर में घुसकर मेरी पुत्री व मुझे लात घूंसो से मारा–पीटा एवं घर का सामान तोड़ दिया। प्रार्थिनी

के शोर पर गांव के लोगों को आता देख सभी प्रतिपक्षीगण मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां जान से मार देने की धमकी देते हुये चले गये। जिसकी सूचना प्रार्थिनी ने थाना खीरो में दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। थाने द्वारा कार्यवाही न होने पर प्रार्थी ने घटना की सूचना जरिये रजिस्ट्री श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, रायबरेली को दिनांक 14.06.2022 को दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब विवश होकर प्रार्थिनी श्रीमान जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष, खीरों जनपद रायबरेली को आदेशित कर दिया जाये कि वह प्रार्थिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना करे।

अभियुक्त अमन कुमार द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामले में प्रार्थी /अभियुक्त को रंजिशन मनगढंत, मिथ्या भ्रामक व झूठे कथनों व फर्जी तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी /अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी नानी की सेवा सुश्रुवा हेतु अपने ननिहाल बडा भगत खेडा में बचपन से ही रह रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के एकलौते मामा राजेश कुमार बाहर शहर में रह कर नौकरी करते है व मामी कंचन लता रायबरेली शहर में रहती है तथा बेटी को पढाती है। प्रार्थी/अभियुक्त के मामा व मामी को यह भय सता रहा था कि हम लोग वृद्ध मां की सेवा नहीं कर रहे है कही ऐसा न हो कि वह मकान प्रार्थी /अभियुक्त को लिखा दे। कथित मामले की मुकदमा वादिनी प्रार्थी/अभियुक्त की सगी मामी है तथा पीडिता प्रार्थी/अभियुक्त की ममेरी बहन है। दिनांक 22.05.2022 को दिन में लगभग 5 बजे प्रार्थी/अभियुक्त के मामा राजेश कुमार, मामी कंचन लता अपने मेली मददगारों के साथ प्रार्थी/अभियुक्त की नानी के घर लाठी डंडों के साथ घुस आये और गाली–गलौज करते हुए नानी किशन दुलारी व प्रार्थी/अभियुक्त की मां श्रीमती अमिता व मौसी उर्मिला को घर से भगा दिया था जिसके संबंध में नानी ने थाना खीरो में कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी जानकारी होने पर परिवादिनी कंचन लता ने अधिवक्ता की सलाह व मशविरा से फर्जी तारीख व समय दिखा कर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। कथित मामला 7 वर्ष की सजा से कम दण्डनीय है। विवेचक महोदय ने उपरोक्त मामले में प्रार्थी/ अभियुक्त को बिना किसी विशेष कारण का उल्लेख करते हुए गिरफ्तार किया है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यावस्था अर्नेस कुमार व अन्य बनाम बिहार राज्य एस०एल०पी० का घोर उल्लंघन किया है। कथित दिनांक व समय व स्थान पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई भी घटना आदि कारित नहीं की गयी है। कथित मामले की वादिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्तर्गत धारा 161 सी०आर०पी०सी० व अन्तर्गत धारा 164 सी०आर०पी०सी० में काफी विरोधाभाष है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उपरोक्त प्रकृति का कोई अपराध कारित नहीं किया है महज सम्पत्ति के विवाद में प्रार्थी/अभियुक्त की माँ व नानी को हैरान व परेशान करने की नियत से मुकदमा लिखाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र एवं चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थ /अभियुक्त दिनांक 05.10.2022 से जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा किसी अन्य जनपद न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है न स्वीकार किया गया है न ही निरस्त किया गया है। वाद उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानते देने को तैयार है

उसका वह दुरूपयोग नहीं करेगा एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करेगा, दौरान विचारण मुकदमा सहयोग करेगा। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूची से परिवाद पत्र, बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2, प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक रायबरेली की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

वादिनी मुकदमा को नोटिस भेजी गयी। वादिनी मुकदमा को भेजी गयी नोटिस बजात खास तामील होकर पत्रावली में संलग्न है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, जो केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयानों से समर्थित हैं। मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियेाजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा – 147, 452, 354, 323, 504, 506, 427 भा०द०सं०के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त दिनांक 05.10.2022 से अन्तर्गत धारा– 147, 452, 354, 323, 504, 506, 427 भा०द०सं० व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर, प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अमन कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–346/2022 अन्तर्गत धारा– 147, 452, 354, 323, 504, 506, 427 भा०द०सं० व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना खीरों, जिला रायबरेली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अमन कुमार द्वारा **अंकन–50,000/–(पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू तथा निम्न आशय की अन्डरटेकिंग दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर अवमुक्त किया जायेः–

01– प्रार्थी/अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षीगण/साक्ष्य से छेड़खानी नहीं करेगा।

02– अभियोजन साक्षीगण के उपस्थित होने पर साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं प्रस्तुत करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र को वचनभंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

03– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि जो न्यायालय द्वारा मुकर्रर होगी, व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त की बिना किसी युक्तियुक्त एवं यथेष्ट कारण के गैर मौजूदगी होने पर सम्बन्धित न्यायालय अन्तर्गत धारा–229 ए भा०दं०सं० के तहत् सम्यक् कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेगा।

04– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने पर या परीक्षण के दौरान गैर

हाजिर रहने पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा 82 दं०प्र०सं० के तहत प्रार्थी/अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिये उदघोषणा करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा। तद्नुसार, धारा–174ए भा०दं०सं० में कार्यवाही प्रार्थी/अभियुक्त को अनुमन्य होगी।

05– यह कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगाः–

1– परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

2– आरोप गठित होने की तिथि पर।

3– बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता कलमदर्ज होने की दशा में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझकर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

दिनांक–13.10.2022

(राकेश कुमार तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(पाक्सो एक्ट)–तृतीय, रायबरेली।

सतेन्द्र कुमार
(आशुलिपिक)

Digitally signed by Rakesh Kumar Tiwari
Date: 2022.10.13 16:35:49 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court, Raebareli